प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायधीश प्रितिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्रमांक 516/2010

अपीलार्थी अशोक चक्रधारी

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील क्रमांक 521/2010

अपीलार्थी टेकेन्द्र निषाद

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय उध्घोषणा हेतु दिनांक को सूचीबद्ध करे।

सही/-

प्रितिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रितिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्रमांक 516/2010

अपीलार्थी अशोक चक्रधारी

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

दाण्डिक अपील क्रमांक 521/2010

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी टेकेन्द्र निषाद

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

अपीलार्थीगण की ओर से श्री मलय कुमार भादुरी और श्री जनक राम वर्मा अधिवक्तागण।

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से श्री देव करण ग्वालारे, शासकीय अधिवक्ता।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के तहत दाण्डिक अपीलें।

निर्णय (10.09.2012)

चूंकि ये दोनों अपीलें दुर्ग के विशेष न्यायाधीश द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 13/2008 में दिनांक 30.6.2010 को पारित एक ही निर्णय और आदेश से संबंधित हैं, जिसमें

अभियुक्त/अपीलार्थी अशोक चक्रधारी को धारा 376(1) और 450 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया और उसे 7 साल के कठोर कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई, और अभियुक्त/अपीलार्थी टेकेंद्र निषाद को धारा 456 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया और उसे 3 साल के कठोर कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी गयी जुर्माना न भरने पर विहित अनुसार दण्ड भुगतान, इसलिए इन दोनों का निवारण इस इस ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 16.01.2007 को अभियोक्ति (अ.सा-13), जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, ने इस सम्बन्ध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-6) दर्ज कराई, जिसमें कहा गया है कि दिनांक 14.01.2007 को जब वह अपने घर के सामने बैठी थी, तब अभियुक्त/अपीलार्थी वहां आए, अभियुक्त अशोक ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ यौन संबंध बनाए। जब उसने इसका विरोध किया, तो वे उसके घर से चले गए। रात में जब वह अपने भतीजे रमा और भतीजी ज्योति (अ.सा-1) के साथ अपने घर में सो रही थी, लगभग 11.00 बजे दोनों अभियुक्त/अपीलार्थी फिर से वहां आए, अभियुक्त अशोक उसके घर में घुस गया और अपने कपड़े उतारकर उसके साथ जबरदस्ती सम्भोग किया,उस समय अभियुक्त टेकेंद्र वहां खड़ा था। आरोप है कि उसके भतीजे और भतीजी ने भी घटना देखी थी। यह भी आरोप है कि उसकी सास के निधन के कारण वह समय पर शिकायत दर्ज नहीं करा सकी। इस शिकायत के आधार पर, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376/34 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के तहत अपराध दर्ज किए गए। अभियोक्ति की चिकित्सकीय परिक्षण डॉ. जी. चक्रवर्ती (अ.सा-6) द्वारा की गई। परिक्षण पूरी होने के बाद, पुलिस ने दिनांक 28.02.2007 को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)और 450 तथा विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(xii) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया। हालांकि,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त अशोक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 450, 376(1) और विशेष अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत आरोप विरचित किए, जबकि अभियुक्त टेकेंद्र के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 456 के तहत आरोप विरचित किए गए।

3. अपने मामले के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने 13 साक्षियों का परिक्षण कराया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त/अपीलार्थीगण के बयान भी अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और अपने आप को निर्दोष होने और मामले में झूठे फंसाए जाने का अभिवाक किया।

4. पक्षकारो को सुनने के बाद, अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपी अशोक को विशेष अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत लगाए गए आरोप से दोषमुक्त कर दिया, लेकिन उन्हें दोषसिद्ध करते हुए उपरोक्तनुसार दण्डित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को झूठे मामले में फंसाया गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा बताई गई कहानी अत्यंत अविश्वसनीय है। उनके अनुसार, अभियोक्ति के बयान में कई महत्वपूर्ण विसंगतियां हैं, जो उसके पूरे बयान को पूरी तरह से अविश्वसनीय बनाती हैं। उनका कहना है कि अभियोक्ति (अ.सा-13) और ज्योति (अ.सा-1) के बयानों में अपराध के समय को लेकर विरोधाभास है। उनका यह भी कहना है कि घटना रात 11 बजे घटी थी, जबकि अभियोक्ति ने अपने बयान में कहा है कि यह दोपहर 12 बजे घटी थी, वहीं ज्योति (अ.सा-1), जो घटना के समय मौजूद थी, ने कहा है कि घटना दोपहर 1 बजे घटी थी। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि घटना के समय में यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है और अभियुक्त/अपीलार्थी दोषमुक्त होने के हकदार हैं। उनका कहना है कि अभियोक्ति का चिकित्सयी प्रतिवेदन भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करती क्योंकि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई थी।

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता ने चुनौती दिए गए निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क किया कि इस न्यायालय के पास अभियोक्ति के बयान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है और यह बहुत स्वाभाविक है। उनका कहना है कि अभियोक्ति एक ग्रामीण महिला होने के नाते घटना का सटीक समय नहीं बता सकती, लेकिन यदि उसके समग्र आचरण को देखा जाए, तो यह स्पष्ट है कि अभियुक्त अशोक ने उसके साथ बलात्कार किया था। उनका यह भी कहना है कि बाल गवाह ज्योति (अ.सा-1) का बयान भी इसकी पुष्टि करता है। यह पूरी तरह विश्वसनीय है और इस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। उनके अनुसार, अभियोक्ति के बयान का अशोक निषाद (अ.सा-3) और रुक्मणी बाई (अ.सा-4) ने समर्थन किया है, जिन्होंने बताया है कि अगली सुबह अभियोक्ति ने उन्हें घटना के बारे में बताया था। अंत में, उनका कहना है कि अभियोक्ति विवाहित महिला होने के कारण, उसके शरीर पर चोट न होने से अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. हमने पक्षकारों के अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया।

8. अभियोक्ति (अ.सा-13) ने बताया है कि लगभग तीन साल पहले दोपहर करीब 12 बजे जब वह अपनी भतीजी ज्योति (अ.सा-1) और भतीजे राम के साथ अपने देवर के घर के सामने बैठी थी, तभी अभियुक्त अपीलकर्ता मोटरसाइकिल पर वहाँ आए। अभियुक्त अशोक उसे घसीटकर घर के अंदर ले गया और दूसरे अभियुक्त, जिसका नाम उसे याद नहीं है, ने भी उसे धक्का दिया। उसे कमरे के अंदर ले जाया गया जहाँ अभियुक्त अशोक ने उसे ज़मीन पर पटक दिया, अपनी पैंट उतार दी, उसका ब्लाउज़ फाड़ दिया और उसकी साड़ी और पेटीकोट ऊपर उठाकर उसके साथ जबरदस्ती सम्भोग किया। इस गवाह के अनुसार, अभियुक्त अशोक ने लगभग एक घंटे तक उसके साथ बलात्कार किया और उसकी चीखें सुनकर राम (जिसका परीक्षण नहीं हुआ है) और ज्योति

(अ.सा-1) वहाँ आए, लेकिन अभियुक्त अशोक ने उन्हें लात मारकर भगा दिया। रात करीब 8 बजे दोनों अभियुक्त/अपीलार्थी फिर उसके घर आए और उससे कुछ गलत काम करने के लिए अंदर आने को कहा और उसे घसीटना शुरू कर दिया, लेकिन उसके इनकार करने पर वे वहाँ से चले गए। रात का अंधेरा होने के कारण उसने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया और अगले दिन उसने कोटवार से इस बात का खुलासा किया। मुलाकात के बाद से जैसा कि गांव के कोटवार द्वारा आश्वासन दिया गया था, सभा आयोजित नहीं की गई थी। इसलिए अपने देवर के आने के बाद वह पुलिस थाना गई और शिकायत दर्ज कराई। प्रतिपरीक्षण में उसने कहा कि वह सुबह, दोपहर, शाम और रात जैसे शब्दों को समझती है। उसने स्वीकार किया कि उसने दोपहर के समय हुई घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी। उसने इस बात से इनकार किया कि शिकायत दर्ज कराते समय उसने पुलिस को बताया था कि दोपहर में अभियुक्त/अपीलार्थीगण ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। उसके अनुसार, यह कहना गलत है कि दोपहर में अभियुक्त/अपीलार्थीगण ने उसके साथ बलात्कार नहीं किया, क्योंकि सूअरों के व्यापार को लेकर कुछ विवाद था। उसने स्वीकार किया कि उसने घटना की सूचना अपने पड़ोसियों को नहीं दी क्योंकि वे खेत में गए हुए थे। कंडिका-10 में उसने स्वीकार किया है कि घटना के समय उसने खुद को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। ज्योति (अ.सा-1), लगभग 10 वर्ष की एक बाल साक्षी, जो अभियोक्ति की भतीजी है, ने बताया कि घटना वाले दिन दोपहर लगभग 1 बजे... जब वह अभियोक्ति (अ.सा-13) और जिसका परीक्षण नहीं हुआ है के साथ अपने घर में बैठी थी, तभी अभियुक्त/अपीलार्थी मोटरसाइकिल पर वहां आए,मोटरसाइकिल से उतरने के बाद, अभियुक्त अशोक ने अभियोक्ति को अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि अन्य अभियुक्त बाहर खड़े थे। जब उसने और उसके भाई ने घटना देखने की कोशिश की, तो अभियुक्त अशोक ने उसे थप्पड़ मारा। उसके अनुसार, अभियुक्त अशोक लगभग एक घंटे तक कमरे के अंदर रहा और उस दौरान अन्य आरोपी टेकेंद्र उसे और उसके भाई को वहां से चले जाने के लिए कह रहा था। प्रतिपरीक्षण में उसने बताया कि उसका

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और अभियोक्ति का घर साझा है। खिलवान (अ.सा-2) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षदोही कर दिया गया है। हालांकि अशोक निषाद (अ.सा-3) को पक्षदोही कर दिया गया है,विरोधी पक्ष के गवाह ने बताया है कि अभियोक्ति उसके पास आई और उसे बताया कि अभियुक्त अशोक ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। लोक अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उसने स्वीकार किया कि अभियोक्ति ने उसे अभियुक्त अशोक द्वारा बलात्कार किए जाने की जानकारी दी थी। अभियोक्ति की भाभी रुक्मणी बाई (अ.सा-4) ने बताया कि घटना वाले दिन अपनी बड़ी मां के निधन के कारण वह अपने गांव गई हुई थी और अभियोक्ति बच्चों के साथ घर में थी। दूसरे दिन जब वह घर लौटी, तो अभियोक्ति ने उसे बताया कि शराब पीने के बाद अभियुक्त/अपीलार्थी उसके घर आए, अभियुक्त अशोक उसे घसीटकर घर के अंदर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए। उसके अनुसार, अभियोक्ति ने उसे यह भी बताया कि अभियुक्त/अपीलार्थी यह कहकर घर से चले गए कि वे रात में फिर आएंगे। अभियोक्ति ने उसे यह भी बताया कि डर के मारे उसने सरपंच और गांव के कोतवार को घटना की जानकारी नहीं दी। अभियोक्ति ने इस गवाह को यह भी बताया कि रात में अभियुक्त/अपीलार्थी फिर से लाठियां लेकर वहां आए और उसे धमकी दी कि वे उसके साथ बलात्कार करेंगे और बच्चों को पीटेंगे। हालांकि, चूंकि बच्चे घर में थे, इसलिए अभियुक्त/अपीलकर्ता वापस चले गए। सुखराम (अ.सा-5) प्रदर्श पी-2 के तहत की गई जब्ती का गवाह है, जिसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षदोही घोषित कर दिया गया है। डॉ. जी. चक्रवर्ती (अ.सा-6) वह गवाह हैं जिन्होंने अभियोक्ति की चिकित्सकीय परिक्षण दिया और अपना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-3 दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उसके शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं देखी गई और बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। श्रीमती सीमा निषाद (अ.सा-7) वह गवाह हैं जिन्होंने अभियोक्ति के जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-5 को प्रमाणित किया। आर. के. राय (अ.सा-8)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वह गवाह हैं जिन्होंने एफआईआर प्रदर्श पी-6 दर्ज की। अभियोक्ति को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया। चंद्रिका प्रसाद खरे (अ.सा-9) पटवारी हैं जिन्होंने मौका का नक्शा (प्रदर्श पी -7) तैयार किया। मुरारी (अ.सा-10) प्रदर्श पी-2 के तहत की गई जब्ती के गवाह हैं) ने कोई विशिष्ट बयान नहीं दिया है। रजनेश सिंह (अ.सा-11) अन्वेषण अधिकारी हैं जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का विधिवत समर्थन किया है। डॉ. आर. एन. पांडे (अ.सा-12) वह गवाह हैं जिन्होंने अभियुक्त अशोक की चिकित्सकीय परिक्षण दिया और अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-15) दिया जिसमें यह प्रतिवेदन कि वह यौन संबंध बनाने में सक्षम था। हालांकि अभियुक्त अशोक के अंडरवियर और पेटीकोट के साथ-साथ अभियोक्ति की योनि की स्लाइड को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया था, लेकिन कोई विधि विज्ञान प्रयोगशाला का कोई प्रतिवेदन अभिलेख में मौजूद नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य, विशेष रूप से अभियोक्ति (अ.सा-13) और ज्योति (अ.सा-1) के साक्ष्य को देखने के बाद, यह स्पष्ट हो जाता है कि घटना के समय को लेकर उनमें विसंगति है। एफआईआर में अभियोक्ति ने घटना को रात 11 बजे घटित बताया है, जबकि न्यायालय में दिए गए उसके बयान के अनुसार यह घटना दोपहर 12 बजे घटित हुई थी। हालांकि अभियुक्त/अपीलकर्ता रात में फिर से उसके घर आए और उससे यौन संबंध बनाने की मांग की, लेकिन उसके इनकार करने पर वे वापस चले गए। घटना के समय और स्थान पर मौजूद बाल गवाह ज्योति (अ.सा-1) ने घटना का समय 1 बजे बताया है, हालांकि घटना के समय घर में मौजूद होने का दावा किया गया है, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा उसकी जांच नहीं की गई है। इसके अलावा, हालांकि आरोपी अशोक और अभियोक्ति से संबंधित कुछ वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था, लेकिन इस संबंध में कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, अभियोक्ति ने अपने बयान में कहा है कि अभियुक्त/अपीलकर्ताओं द्वारा घसीटे जाने के

दौरान उसके दाहिने घुटने में चोट आई थी, जबकि डॉक्टर (अ.सा-6) ने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-3) में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई बाहरी चोट नहीं थी।

10. उपरोक्त मामले को देखते हुए, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष गवाहों के साक्ष्यों के उचित और न्यायसंगत मूल्यांकन पर आधारित नहीं हैं, और इसलिए आक्षेपित दी गई निर्णय को मान्य नहीं माना जा सकता। तदनुसार, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। आक्षेपित दी गई निर्णय को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ताओं को उन पर लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है। अभियुक्त टेकेंद्र पहले से ही जमानत पर है और उसकी जमानत अपास्त निरस्त किये जाते है, प्रतिभूति उन्मोचित किये जाते है। हालांकि, अभियुक्त अशोक जेल में है और इसलिए यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

प्रितिंकर दिवाकर,

न्यायाधीश

<u>अस्वीकरण:</u> हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By- YOGITA NAIK, Advocate